

07/10  
24 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में मूल  
पत्रावली माननीय अपीलीय न्यायालय  
द्वारा तलब की जा चुकी है। अतः  
प्रकरण में मूल पत्रावली पुनः प्राप्त  
होने पर दर्ज कर क नम्बर पर  
ली जाए। उक्त अवधि तक प्रकरण  
का सरबरक दाखिल दफ्तर हो।



3  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली